न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00154

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री अणदी लाल जाति माली ।
2. घनश्याम पुत्र श्री अणदी लाल जाति माली ।
3. सुगना बाई पत्नी श्री केवल कृष्ण जाति माली ।
4. नगेन्द्र वाला पुत्री केवल कृष्ण जाति माली ।
5. सीमा कुमारी पुत्री केवल कृष्ण जाति माली ।
6. टीलू पुत्री केवल कृष्ण जाति माली ।
7. हेमन्त पुत्र केवल कृष्ण जाति माली ।
8. बजरंग लाल आत्मज श्री केसरी लाल जाति माली निवासीगण ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र श्री किशोर जाति मेघवाल ।
2. धन्ना लाल पुत्र छोटू जाति मेघवाल ।
3. महावीर पुत्र छोटू जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम गामछ तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील व जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 13.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत ग्राम बरूंधन तहसील व जिला बून्दी की कुल 02 किता की रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय लगभग 45 वर्षो से कब्जे में चली आ रही है । वादी क्रम 01 व दो के पिता अणदीलाल एवं वादी क्रम 07 बजरंग लाल के नाम उक्त भूमि खसरा नम्बर 1640 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1641 रकबा 05 बिस्वा कुआ मे से हिस्सा 1/8 जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 06.10.1967 को खातेदारान कालू, किशोर, छोटू पिसरान जीवन जाति बलाई से क्रय की गई थी । प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसे न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी द्वारा निरस्त कर दिया । उक्त भूमि का प्रतिवादी क्रम 02 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 07.101984 को वादी क्रम 01 एवं 02 के पिता अणदीलाल एवं वादी क्रम 07 के नाम खोल दिया इस प्रकार वादीगण उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार बन गये परन्तु राजस्व अधिकारियों ने आगे की जमाबन्दी में वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जिसका दर्ज करवाने के वादीगण अधिकारी हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावेकि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.03.2016 के द्वारा वाद वादीगण अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2016 से व्यथित होकर वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद को पुनः नम्बर पर लेने हेतु रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2020 से द्वारा खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2020 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी विलम्ब के सम्बन्ध में पेश कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन व शपथ पत्र के खण्डन में कोई जवाब प्रार्थना पत्र या काउन्टर शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थी अपीलान्टगण का रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 निररस्त फरमाया जावे तथा वाद को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि उक्त अपील पेश करने समयावधि के पूर्व ही सम्पूर्ण भारत देश में कोविड–19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन की घोषणा भारत सरकार द्वारा कर दी गई थी और इसी दौरान सम्पूर्ण देश में न्यायालय की कार्यवाहियॉ बाधित रही इसलिए अपीलान्ट उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर सके थे । ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अधिकार घोषणा का पेश किया था । जवाबदावा रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश किया गया और तनकीयात कायम की गई । वादी और प्रतिवादी की साक्ष्य रिकॉर्ड पर ली गई । इसके बाद प्रार्थना पत्र की बहस में दिनांक 07.12.2015 की तारीख पेशी नियत की गई । दिनांक 21.03.2016 को दावा अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया गया । अपीलान्ट के द्वारा दावे को पुनः नम्बर पर लेने के लिए आवेदन परीक्षण न्यायालय में दिनांक 03.03.2017 को पेश किया । दिनांक 21.03.2016 को बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका । अभिभाषक के द्वारा भी अपीलान्ट को जानकारी नहीं दी गई । प्रार्थना पत्र के साथ विलम्ब को शमन करने के लिए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था और अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज किया है कि समय सीमा में पेश नहीं किया गया था । अपीलान्ट के द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया था उसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट ने कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया था । अपीलान्ट का शपथ पत्र अखण्डनीय था । सद्भाविक देरी थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त फरमाया जाकर दावे को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया गया था । विलम्ब का समुचित कारण नहीं दर्शाया गया था । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट को रिवीजन में जाना चाहिए अपील मेन्टेनेबल नहीं है । आदेश 09 नियम 09 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । 30 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना अनिवार्य होता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण

बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी दिनांक 21.03.2016 को अदम हाजरी एंव अदम पैरवी में खारिज किया गया था इसको रेस्टोर करने के लिए अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 22.02.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से यह कहते हुए खारिज किया है कि प्रार्थना पत्र समयावधि में पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट का यह कथन है कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं और बीमारी के कारण दिनांक 21.03.2016 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था । दावे में वादी की साक्ष्य हो चुकी है, प्रतिवादी के गवाह से जिरह बाकी है । ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा यह आपत्ति की गई है कि आदेश 09 नियम 09 सीपीसी में पारित आदेश के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है परन्तु सीपीसी के आदेश 43 के अनुसार – वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामले में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश 09 के नियम 09 के अधीन दिया गया हो तो उसकी अपील मेन्टेनेबल है । तद्नुसार अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे को पुनः नम्बर पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 13.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा